न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टहला)

वाद संख्या :— 02 / 176 / 2016

<u>हरिनारायण बनाम चिम्मनलाल वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 27.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टहला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 07.11.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1131, 1142, 1132, 1133, 1140, 1141, 1152 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 02.01.2017 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी पर कोई निर्माण नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें बाबत् जारी की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनकी ओर से अभी जवाब पेश नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072—75 के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रथम दृष्टया प्रार्थी की खातेदारी में होना नहीं पाया जाता है इसलिए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1131, 1142, 1132, 1133, 1140, 1141, 1152 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 07.11.2016 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 कैम्प कोर्ट टहला पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टहला)

सत्यमेव जयते WebCopy - Not Official